



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को 06 वर्ष का कारावास व 5000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मझगवां में पंजीकृत मु0अ0सं0-207/2010 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त हरी पुत्र रमजू मु0-मियांपुरा, थाना राठ जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए 06 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीजीसी सुशील  
कुमार त्रिपाठी



विवेचक- उ0नि0  
जमेरुल हसन



पैरोकार- थाना  
मझगवां  
का0 जगत सिंह